



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36652-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 3683 वर्ष 2026

मधुप विश्वास

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता	: आलोक कुमार श्रीवास्तव, अरुण कुमार त्रिपाठी
प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता	: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रारम्भ में ही, याची के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह कथन प्रस्तुत किया कि वह इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तथा इसे वापस लेने की प्रार्थना करते हैं।
3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।
4. उपर्युक्त कथन के दृष्टिगत, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के कारण निरस्त की जाती है।

दिनांक: 18 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नदीम

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”